कानपुर नगर निगम

नगर निगम (सदन) की दिनांक 01-05-2015 पूर्वान्ह 11-00 बजे दिन शुक्रवार को सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्य-वृत्त

स्थानः नगर निगम मुख्यालय सभागार, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/45/सचिव (न.नि.)/15–16 दिनांक :- 23-05-2015

सेवामें

श्री/श्रीमती/सुश्री...,

मा0 पार्षद वार्ड सं0........./नाम निर्दिष्ट सदस्य/पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 01.05.2015 दिन शुक्रवार पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई विशेष बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 23 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः
1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–01-05-2015 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	महापौर/अध्यक्ष
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू"	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद/सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य
श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य
श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद/सदस्य
श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्रीमती शाईमा	पार्षद/सदस्य
श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती उत्तम	पार्षद/सदस्य
श्री रामकुमार पाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद/सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद/सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद/सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद/सदस्य
श्री कमल शुक्ल "बेबी"	पार्षद/सदस्य

ह0...........महापौर

श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य
श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती मधु	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद / सदस्य
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य
श्री आदर्श	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद / सदस्य
श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 आरिफ	पार्षद / सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्री आमोद	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
मो0 इरफान खान	पार्षद / सदस्य
श्री रमापत झुनझुनवाला	पार्षद / सदस्य

नाम निर्दिष्ट सदस्य

श्री बलवन्त सिंह
श्री शैलेन्द्र मिश्रा
श्री अब्दुल वासिद
श्री शशीभाल शुक्ला
श्री मुन्सिफ अली रिजवी

ह0..........महापौर

श्री चन्द शेखर यादव		श्री विनोद कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
श्री आकिल सिद्दकी		श्री राकेश कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
पदेन सदस्य		श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
श्री सतीश कुमार निगम	स0वि0स0/सदस्य	श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता
श्री अरूण कुमार पाठक	स0वि0परिषद	श्री आर.एम. अस्थाना	मुख्य अभियन्ता वि./यॉं
अधिकारीगण		श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक जलकल
श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त	श्री ए.के. शुक्ला	वित्त अधिकारी, जलकल विभाग
श्री गंगाराम चौधरी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी		

वन्देमातरम् गायन के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री नवीन पण्डित द्वारा नेपाल में आये भूकम्प की त्रासदी में मारे गये लोगो की आत्मा की शान्ति हेतु सर्वप्रथम शोक संवेदना व्यक्त करने के लिये कहा, साथ ही श्री सुहेल अहमद ने श्रीमती आयशा बेगम, पूर्व पार्षद का भी देहावसान हो जाने पर शोक व्यक्त करने हेतु कहा। अतः सर्वप्रथम दो मिनट का मौन रखते हुये दिवंगत आत्माओं की शान्ति हेतु शोक व्यक्त किया जाये तत्पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

अध्यक्ष द्वारा सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों/अधिकारियों से दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रखने के लिये कहा गया, जिस पर सभी ने दो मिनट का मौन रखते हुये शोक संवेदना व्यक्त की।

अध्यक्ष ने सर्वप्रथम कार्यसूची के अनुसार पुनरीक्षित बजट पर निर्णय लेने के लिये सभी सदस्यों से कहा, जिस पर सभी सदस्यों ने कहा कि सर्वप्रथम शहर की समस्याओं पर चर्चा कराई जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि जल निगम द्वारा शहर में जगह–जगह सड़को की खुदाई कर दी गई है, जिससे नागरिकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उनके कार्यो की लागत में वृद्धि के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे है। अतः इनके कार्यो की जॉंच किसी सी.ए. से कराई जानी चाहिये।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि आपकी भावनाओं की प्रधानता को देखते हुये संदर्भित पर पूर्व में ही मेरे द्वारा नगर आयुक्त को पत्र लिखा जा चुका है।

मो0 शमीम आजाद ने जुमे के दिन बैठक आहूत करने पर आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा कि मुस्लिम पार्षदों की भावनाओं का ध्यान रखते हुये जुमे के दिन एक घण्टे का समय नवाज अदा करने के लिये दिया जाना चाहिये।

ह0...........महापौर

अध्यक्ष ने कहा कि शासकीय, प्रशासकीय एवं नागरिक समस्याओं के समाधान हेतु बैठकों कों धर्म, सम्प्रदाय एव वर्ग में विभाजित नही किया जाना चाहिये। अतः ऐसी कोई परम्परा न डाली जाये।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि 06 माह बाद सदन की बैठक हो रही है। अतः सर्वप्रथम शहर की समस्याओं पर चर्चा करा ली जाये, तत्पश्चात् कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही संचालित की जाये, क्योंकि पुनरीक्षित बजट की प्रतियाँ भी सभी सदस्यों को वितरित नही कराई गई है।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित बजट की प्रतियों को सभी सदस्यों को वितरित कराने के निर्देश दिये। तदनुसार मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को पुनरीक्षित बजट की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई और अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी उप सभापति श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित बजट को सदन पटल पर स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–132

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 675 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर निगम, कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2013-14 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15	वास्तविक आय अगस्त 2014 तक	पुनरीक्षित 2014-15
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	7841.22	1101.80	1778.59	11101.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	2.26	25.00	0.76	5.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	104.81	104.50	57.62	120.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	5	766.30	2472.50	481.15	1510.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	89.76	198.00	77.81	165.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	0.00	51.00	0.00	51.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	6	1679.12	1806.00	83.32	2107.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	59.62	62.00	24.12	77.10
	TOTAL -A-		योग (अ) नगर निगम निधि	6	**10543.09**	**15820.80**	**2503.37**	**15137.60**
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	36249.57	38665.00	36611.76	42753.00

ह0...........महापौर

	TOTAL-(A + Revenue Grants & Contribution)		योग (अ + राजस्व अनुदान एवं अंशदान)	6	**46792.66**	**54485.80**	**39115.13**	**57890.60**
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	JNNURM Scheme		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना	7	15115.46	4271.00	2312.74	24822.10
	Finance Commission Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	9827.00	7150.00	0.00	7300.00
	Special Fund: Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि	8	2866.35	3450.00	9347.85	11650.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	8	498.57	795.00	0.00	765.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	8	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	9	6899.94	2906.00	2312.75	9109.97
	TOTAL-B-		योग (ब)	9	**35207.32**	**18576.00**	**13973.34**	**53651.07**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	9000.37	61399.44	0.00	61399.44
	TOTAL-C-		योग (स)	8	**9000.37**	**61399.44**	**0.00**	**61399.44**
	TOTAL REVENUE, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	9	**91000.35**	**134461.24**	**53088.47**	**172941.11**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	9	15969.93	14855.93	32907.57	14855.93
	Grand Total		महायोग	9	**106970.28**	**149317.17**	**85996.04**	**187797.04**

नगर निगम, कानपुर

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2013-14 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15	वास्तविक व्यय अगस्त 2014 तक	पुनरीक्षित 2014-15
	Revenue Expenses		राजस्व आय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23541.85	25620.00	10364.82	26470.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	2076.44	1808.00	290.70	1774.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	13	8208.54	25066.00	4123.85	23558.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	14	314.57	508.00	0.06	408.00
	TOTAL –D-		योग (द)	14	34141.40	53002.00	14779.43	52210.00
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	**Earmarked Fund**	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	Finance Commission		वित्त आयोग	14	3068.70	4000.00	2038.93	7000.00
	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	14	2574.69	4100.00	811.83	8500.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	15	464.44	857.00	210.27	1543.33
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	107.00	0.00	107.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	17	402.70	1430.00	53.29	1488.00
	Total –E-		कुल योग (य)	17	**6510.53**	**10498.00**	**3114.32**	**18642.33**

ह0...........महापौर

	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	6899.94	2800.00	2312.75	9003.97
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	17	9000.38	61399.45	0.00	61399.45
	JNNURM Scheme Advance		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	18	14879.97	4201.05	2391.55	24802.15
	TOTAL –F-		योग (र)		30780.29	68400.50	4704.29	95205.57
	TOTAL REVENUE, Capital & Reserve Fund Income (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	18	71432.22	131900.50	22598.04	166057.90
3401	Less:- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	18	-2630.49	0.00	-111.32	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	18	74062.71	131900.50	22709.35	166057.90
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष:-	18	32907.57	17416.67	63286.69	21739.14
	Grand Total		महायोग	18	106970.28	149317.17	85996.04	187797.04

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि सबसे ज्यादा शिकायत उ0प्र0 जल निगम की कार्यप्रणाली से है, क्योंकि बिना किसी सूचना के मनचाहे ढंग से शहर के किसी भी स्थान की सड़क जब चाहे खोद दी जाती है। नगर निगम नोडल एजेन्सी है। नगर निगम का जल निगम के कार्यो के पर्यवेक्षण में भी विशेष अधिकार होना चाहिये, जबकि जल निगम को केवल धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है। कार्यो में समन्वय नही रखा जाता है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सी.टी.आई. वाली सड़क अभी कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा बनाई गई थी, उस पर जल निगम द्वारा खुदाई कर दी गई है, इससे नगर निगम को आर्थिक क्षति के साथ–साथ क्षेत्रीय नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने भी पी रोड में नगर निगम की बनाई गई सड़क पर तत्काल जल निगम द्वारा की गई खुदाई की शिकायत की।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि नगर निगम को दोहरी क्षति होती है। पहला कि नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़क पर जल निगम द्वारा रोड कटिंग करने पर आर्थिक क्षति, दूसरा क्षेत्रीय जनता को यातायात में असुविधा होने पर नगर निगम की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सभापति ने भी कहा कि चूँकि नगर निगम नोडल एजेन्सी है, अतः जल निगम द्वारा रोड कटिंग कहाँ कहाँ कराई जा रही है तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप है, अथवा नही। कानपुर नगर में जल निगम द्वारा कराई जा रही रोड कटिंग की तालिका प्राप्त कर समय समय पर नगर निगम द्वारा परीक्षण किया जाना समीचीन होगा। इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कानपुर नगर निगम नोडल एजेन्सी जरूर है, परन्तु नगर निगम द्वारा केवल धनराशि का भुगतान किया जाता है और की गई धनराशि के भुगतान के प्रस्ताव कार्यकारिणी एवं सदन में सूचनार्थ प्रेषित किये जाते है। अन्य कोई हस्तक्षेप नही रहता है। सभापति के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु रोड कटिंग वाले स्थलों की तालिका प्राप्त कर परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पुनरीक्षित बजट की प्रति अभी मिली है, सभी सदस्यों के मदों का संज्ञान नही है। अतः यदि इसकी प्रतियाँ कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बैठक के पूर्व उपलब्ध करा दी जाती तो उचित होता।

सभापति ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसा ही किया जायेगा।

ह0...........महापौर

श्री महेन्द्र शुक्ल ने कहा कि एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने का प्रस्ताव पूर्व से स्वीकृत है, तो अनावश्यक टावर न लगाये जाये। अतः पुनरीक्षित बजट में जो मार्गप्रकाश अनुरक्षण के मद संख्या 2305002 में प्रस्तावित 700 लाख रूपये के स्थान पर 400 लाख रूपये किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।

.... **मार्ग प्रकाश अनुरक्षण के मद संख्या 2305002 में प्रस्तावित 700 लाख रूपये की धनराशि के स्थान पर 500 लाख रूपये अर्थात् उक्त मद में रू0 200 लाख की कमी करते हुये पुनरीक्षित बजट 2014–15 के आय पक्ष में प्रारम्भिक अवशेष रू0 14855.93 लाख के साथ धनांक रू0 187797.04 लाख की धनराशि तथा व्यय पक्ष में अन्तिम अवशेष धनांक रू0 21539.14 लाख के सहित कुल धनांक रू0 187797.04 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष ने कहा कि पुनरीक्षित बजट स्वीकृतोपरान्त कार्यसूची के अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर लिया जाये, इसके पश्चात् मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 पर निर्णय लेने के पश्चात् शहर की समस्याओं पर चर्चा कराई जायेगी।

प्रस्ताव संख्या–133

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 690 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः **डी/ 547/अ0अ0–6** दिनांक 15.09.214 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

जोन–6 वार्ड 27 शास्त्री नगर के अन्तर्गत नन्दलाल आटा चक्की चौराहा से छैय्या होटल चौराहा तक सड़क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 20,53,810.00 का बनाया गया है। जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है। अतएव उक्त आगणन धनांक **रू0 20,53,810.00** के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–134

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 719 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/125/न.आ./उद्यान अधी./2014–15 दिनांक 08.01.2015 को मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष **स्वीकृतार्थ** प्रेषित।

कानपुर क्लीन–ग्रीन योजनान्तर्गत नगर विकास अनुभाग–7 के पत्र संख्याः 3543/ नौ–7–14–192(जनरल)/2014 दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 एवं शासन के पत्र संख्याः 176 एम.एस./नौ–7–14–192(जनरल)/2014 दिनांक 05.12.2014 के अनुपालन में कानपुर नगर को क्लीन ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु एक कार्ययोजना (अनुमानित लागत रू. 4,28,81,569.00) तैयार कर कार्यालय पत्र संख्याःडी/ 118/ न.आ./उद्यान अधी./14–15 दिनांक 06.01.2015 के माध्यम से उ.प्र. शासन को निम्नानुसार प्रेषित की गई है।

ह0..........महापौर

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय/आगणन
1	शनैश्वर मन्दिर से नमक फैक्ट्री चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	38,84,424.00
2	नमक फैक्ट्री चौराहे से डबल पुलिया चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	44,42,722.00
3	डबल पुलिया चौराहे से विजय नगर सब्जी मण्डी चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	53,06,484.00
4	शास्त्री चौक से बर्रा बाई पास तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	28,06,839.00
5	बर्रा बाईपास से राम गोपाल चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	52,45,075.00
6	जोन–2 के अन्तर्गत सी.ओ.डी. नाले से आवास विकास हंसपुरम् तक स्थित ग्रनी बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	69,44,935.00
7	नीर–क्षीर चौराहे से सब्जी मण्डी तिराहा तक एवन मार्केट काकादेव में स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	9,33,348.00
8	ग्रीन बेल्टो मे वृक्षारोपण का कार्य	29.51,405.00
9	जोन–5 वार्ड 93 गोविन्द नगर के अन्तर्गत बी.एस.ए. पार्क का सुधार कार्य।	9,21,160.00
10	जोन–5 वार्ड 98 गोविन्द नगर में मकान नं0–126/जे/57 ए के सामने स्थित पार्क का सुधार कार्य।	16,68,687.00
11	जोन–6 वार्ड 61 लाजपत नगर के अन्तर्गत रामलीला पार्क मे लैण्ड स्केपिंग का कार्य।	9,32,038.00
12	जोन–6 वार्ड 61 के अन्तर्गत रामलीला पार्क में शौचालय निर्माण एवं अन्य सुधार का कार्य।	4,72,333.00
13	जोन–5 वार्ड 64 पनकी ई ब्लाक के अन्तर्गत बरगद वाला पार्क का सुधार कार्य।	8,02,252.00
14	जोन–6 के अन्तर्गत नवशील धाम में मकान नं0–13 के पीछे स्थित पार्क का सुधार एवं पाथवें निर्माण का कार्य।	8,02,662.00
15	जोन–6 वार्ड 20 के अन्तर्गत भारत माता उद्यान का सुधार एवं पाथवे निर्माण का कार्य।	10,09,290.00
16	जोन–5 वार्ड 69 आई ब्लाक गुजैनी स्थित पार्क का सुधार कार्य।	9,85,400.00
17	जोन–5 वार्ड 69 जे ब्लाक गुजैनी में स्थित रामलीला पार्क का सुधार कार्य।	14,58,270.00
18	जोन–5 वार्ड 52 रतन लाल के अन्तर्गत उधम सिंह पार्क में पाथवे निर्माण एवं सुधार का कार्य।	6,01,850.00
19	जोन–6 वार्ड 32 के अन्तर्गत गोवा गार्डेन स्थित पार्क का निर्माण एवं सुधार कार्य।	7,52,395.00
	योगः–	4,28,81,569.00

उपरोक्त सन्दर्भित कार्ययोजना में कार्य को शासन की मंशा के अनुरूप नागरिकों को स्वच्छ व हरित वातावरण उपलब्ध कराने एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत् कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त कार्य हेतु शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में आगणन धनांक रू. 4,28,81,569.00की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही निविदा मांगे जाने की अनुमति एवं इस हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि 09 नं0 क्रासिंग के पास ग्रीन बेल्ट विकसित की जाये।

ह0...........महापौर

नगर आयुक्त ने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव है तो दे सकते है।

सभापति ने कहा कि उपरोक्त का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है अगर कोई प्रस्ताव हो तो नगर आयुक्त के कथनानुसार इनको दे दे साथ ही नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि इसी प्रकार ऐतिहासिक स्थलों को भी विकसित किया जाये।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–135

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 723 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना : श्रीमती गीता जायसवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषयः– फाइल नं0 177 के सम्बन्ध मे।

अवगत कराना है कि वार्ड नं0 55 क अर्न्तगत "के" ब्लाक स्थित मं0न0 128/266 से 128/249 एवं 128/302 से रामेश्वरम मन्दिर तक एवं 128/289 से 128/281 तक साइट पटरी क्षतिग्रस्त है । कृपया उपरोक्त स्थल की फाइल स्वीकृत करने का कष्ट करे।

जनहित में उपरोक्त कार्य का होना अति आवश्यक है।

2. जोन–3 वार्ड 55 के अर्न्तगत के ब्लाक स्थित म0न0 128/266 से 128/249 एवं 128/302 से रामेश्वरम मन्दिर तक एवं 128/289 से 128/281 तक साइट पटरी का सुधार कार्य। (आगणन धनांक रू0 24,75,074.00)

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि एक साथ इनके प्रस्ताव लगाये गये है, जबकि इनके क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बहुत कार्य कराये जा चुके है। इनकी तुलना में किसी पार्षद के यहाँ नाम मात्र के कार्य कराये गये है। इस पर सदस्यों में आपसी विवाद होने लगा।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि मूल बजट में अभियन्त्रण खण्ड को आवंटित धनराशि में बजटीय संतुलन स्थापित रखते हुये सभी जोनों को बराबर–बराबर धनराशि आवंटित की गई है। उ0प्र0 शासन द्वारा 93 कार्य एवं 37 कार्य स्वीकृत किये गये है, उन कार्यो को कराया जा रहा है। पुनरीक्षित बजट जो आज स्वीकृत किया गया है, इसके पश्चात् सभी क्षेत्रों में समानता के आधार पर कार्य कराये जायेंगे।

सभापति ने बड़े दुख के साथ कहा कि ऐसी कार्यकारिणी पूर्व में कभी नही हुई क्योंकि अनुशासन सर्वप्रथम होता है, जिसका ध्यान आज कार्यकारिणी समिति की बैठक में नही रखा गया। कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है न कि कोई शर्त रखी जाती है। इस पर व्यवस्था दी जाती है कि 110 वार्डो के कार्यो के विवरण को संज्ञान में लेते हुये समानता के आधार पर ही कार्य प्रस्तावित किये जाये। परन्तु यह भी ध्रुव सत्य है कि जहाँ अविकसित क्षेत्रों में

ह0...........महापौर

विकास कार्यो की ज्यादा आवश्यकता होती है वहीं विकसित क्षेत्रों में उतने कार्यो की नही। तथापि भविष्य में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये सामन्जस्य बनाने का प्रयास किया जाये। जिन पार्षदों के क्षेत्र में कार्य नही हुये है, उनकों दिखवा लें और तद्नुसार कार्यो की प्रस्तावना दी जाये।

श्री सुहेल अहमद ने सभापति से अनुरोध किया कि विकास कार्यो को कराये जाने में यथासम्भव समानता लाई जाये।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–136

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 724 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

श्रीमती गीता जायसवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– फाइल नं0 176 के सम्बन्ध मे।

अवगत कराना है कि वार्ड नं0 55 क अर्न्तगत के ब्लाक किदवई नगर स्थित मं0न0 128/463 से 128/452 तक एवं 128/400 से 128/409 तक साइट पटरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कृपया उपरोक्त स्थल की फाइल स्वीकृत करने का कष्ट करे।

जनहित में उपरोक्त कार्य का होना अति आवश्यक है।

2. जोन–3 वार्ड 55 के अर्न्तगत के ब्लाक स्थित मं0न0 128/463 से 128/452 तक एवं 128/400 से 128/409 तक साइट पटरी का सुधार कार्य। (आगणन धनांक रू0 19,11,689.00)

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–137

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 725 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

श्रीमती गीता जायसवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– इन्दिरा पार्क (एच ब्लाक) के तीनो तरफ इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली का कार्य।

ह0...........महापौर

अवगत कराना है कि वार्ड नं0 55 के अर्न्तगत इन्दिरा पार्क (एच ब्लाक) किदवई नगर में तीनो तरफ की सड़क, नाली फुटपाथ क्षतिग्रस्त है। इस क्षेत्र की फाइल बन चुकी है। फाइल के अनुसार 28 लाख रूपये खर्च होना है। कृपया इस फाइल को कार्यकारिणी में स्वीकृत कराने की कृपा करें।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–138

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 751 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

आगणन स्वीकृति में

क्रम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन–4 वार्ड 76 के अन्तर्गत भवन सं0 11/71 से 11/299 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	22,75,467.00				स्वीकृत
2	जोन–4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन में तिलक नगर स्कूल से केस्को कालोनी तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	22,08,171.00				स्वीकृत
3	जोन–4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर बारातशाला का निर्माण कार्य।	अन्य भवनों का रखरखाव	27,83,757.00				स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या–139

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 752 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

निविदा स्वीकृति में

ह0...........महापौर

कम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन–4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर बारातशाला का निर्माण कार्य।	अन्य भवनों का रखरखाव	27,83,757.00	32,01,320.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.41 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	स्वीकृत
2	जोन–4 वार्ड 41 के अन्तर्गत हरसहाय स्कूल की रोड़ के पीछे नगर निगम की खुली भूमि पर बारातशाला का निर्माण कार्य (केवल भूमितल)	भवन मरम्मत/अनुरक्षण	24,59,410.00	24,59,410.00	आगणन दर पर	मे0 श्रीराम इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या–140

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 753 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

मा0 कार्यकारिणी समिति व मा0 सदन के माध्यम से मा0 शासन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

आगणन स्वीकृति में

कम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन–4 वार्ड 110 के अन्तर्गत नीली पोश रोड पर खुली भूमि पर दुकानें व बारातशाला का निर्माण कार्य।	–	63,44,886.00				स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या–141

कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.15 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 728 पर मा0 सदन की स्वीकृतोपरान्त शासन को पत्र प्रेषित किया जाना है, पर विचार करना:

श्री हाजी सुहैल अहमद, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 29 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय–:नगर निगम सदन से 74 वॉं संशोधन पास कर राज्य सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में।

ह0...........महापौर

हम पार्षदगण आपसे विनम्र निवेदन करते है कि सदन से 74 वॉ संशोधन जिसके कुछ हिस्से कानपुर में लागू किये जा चुके है और बाकी की लागू को लेकर हम नगर निगम के सदन से 74वॉ संशोधन पारित कर शासन को भेजे। शासन में आज तक कानपुर नगर निगम से प्रस्ताव पास करके जब नही भेजा गया है तो शासन कैसे विचार करेगा।

अतः महोदय जी इस सदन में 74वॉ संशोधन सर्वसम्मत से पारित कर शासन को भेजने का कष्ट करें जिससे कानपुर की मूलभूत समस्याओं का निवारण हो सके। 74 वॉ संशोधन के तमाम पार्ट ऐसे है जो लागू नही हुये और कुछ लागू है इसलिये सदन सर्वसम्मत से मांग करता है कि 74 वॉ सशोधन लागू करने हेतु नगर निगम अपना प्रस्ताव शासन को भेजे व मेरे प्रस्ताव को सदन के ऐजेण्डे में शामिल करें। हम सब पार्षद आपके सदा आभारी रहेगें।

सभापति ने कहा कि वर्ष 1990–91 में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु 74वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया था, जो देश के कुछ प्रांतों में यथा केरल, पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों में लागू कर दिया गया है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज तक उसका अमल नही किया गया है, जो भी प्रादेशिक सरकारें थी, उनने प्रजातंत्र का गला घोंटा है, क्योंकि प्रजातंत्र/लोकतंत्र के तीन स्तम्भ कार्य पालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका है, जो एक दूसरे के पूरक भी है। इन तीनों में किसी की अनदेखी होने से प्रजातंत्र कमजोर होता है। अतः प्रश्नगत प्रस्ताव जो 74वाँ संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किये जाने से सम्बन्धित है, को प्रबल संस्तुति के साथ उ0प्र0 शासन को नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित किया जाये।

.... तद्नुसार उ0प्र0 शासन को अग्रसारित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–142</u>

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–
संख्या 63/9–1–15–678सा/14
लखनऊः 07 जनवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा–30–क के साथ पठित धारा–124 और 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1–	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली,2014 कही जायेगी। (2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों में लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

ह0...........महापौर

सामान्य संशोधन	2–	उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता नियमावली ,2004 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, मे शब्द " सभासद" शीर्षक एवं पार्श्व शीर्षक सहित जहाँ भी आया हो , के स्थान पर शब्द " पार्षद" रख दिया जायेगा।
नियम–2 का संशोधन	3–	उक्त नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम –2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–1** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
2–उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के सभासद सदन की बैठकों में भाग लेने के लिये प्रतिमाह प्रति सभासद 300 रूपये (तीन सौ रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेगें जिसका वहन निगम के स्रोतों से किया जायेगा।	**2**– उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के पार्षद नगर निगमों की बैठको में भाग लेने के लिये प्रतिमाह प्रति पार्षद 1500 रूपये (एक हजार पॉच सौ रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेगें, जिसका वहन निगम के स्रोतो से किया जायेगा।

आज्ञा से
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

<u>प्रतिलिपिः</u> संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 07 जनवरी, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4 , खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 150 प्रतियां (हिन्दी एवं अंग्रेजी) शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय/पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त , उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0।
5. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस निर्देश साहित प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति विभागीय साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह0...........महापौर

ह0....
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

.... अनुपालन कार्यवाही हेतु पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–143

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–3
संख्या 2047/47–क–3/2014–13/94/99 टी0सी0–9(1)
लखनऊः दिनांक 27 अगस्त,2014

विधायी विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय)अध्यादेश, 2014 अधिसूचना सख्या 1013/79–वि–1–14–2(क)–12–2014, दिनांक 28 जुलाई, 2014 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
5. अध्यक्ष/सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. अनुसचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. नियुक्ति अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
पी0बी0सिंह,
अनुसचिव

ह0...........महापौर

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2,खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 जुलाई,2014

श्रावण 6,1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1013/79वि–1–14–2(क)–12–2014,

लखनऊ 28 जुलाई, 2014

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश,2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014)

[भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

अधीनस्थ सेवा की कतिपय श्रेणियों के लिये राज्य में एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना करने और उससे संबधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अध्यादेश

ह0...........महापौर

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही है और राज्य पाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हे तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 20 जून, 2014 से प्रवृत्त माना जायेगा।

2– इस अध्यादेश के उपबन्ध समूह 'ख' से निम्न समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदो के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी है, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदो पर भी लागू होगें : — लागू होना

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य–क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है।

3– इस अध्यादेश की कोई बात :– — अपवाद

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन :

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन :

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम,1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीनः

(ड) पुलिस अधिनियम,1861 द्वारा शासित किसी पद पर भर्ती के सम्बन्ध में लागू नही होगी।

4– जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में :– — परिभाषायें

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) " आयोग का तात्पर्य धारा 5 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(घ) "समूह 'ग' के पद" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

(ड) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) " अन्य पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गो से है;

(छ) " सचिव का तात्पर्य आयोग के सचिव से है;

ह0...........महापौर

(ज) '' भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है, जिसमें भर्ती की जानी है।

अध्याय–दो
आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5–(1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करेएक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नाम से जाना जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम,2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2006) के उपबन्धों के अधीन स्थापित अयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें जो उस आयोग में इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सेवारत थे, आयोग को उसकी स्थापना के दिनांक को और दिनांक से अन्तरित हो जायेगी।

आयोग की संरचना

6–(1) आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होगें जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर नियुक्त करें:

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नही होगा।

(2) यदि किसी अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जबतक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

7– अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेगें:

परन्तु यह कि जहां तक हहो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होगें जिन्होने अपनी अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

8–(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियॉ होगी:

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप समितियों का गठन करना:

(ख) सदस्यों समितियों और उप समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो:

(ग) आयोग एवं उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना ।

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेगें और ऐसे अन्य कार्य करेगें जो उन्हे इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायें।

सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते

9–(1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक सें 05 वर्ष के लिये पद धारण करेगा:

परन्तु यह कि कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या पॉच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर जो भी पहले हो इस रूप में पदधारण नही करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

ह0...........महापौर

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्यको इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गयी जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

10– अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह :–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय,

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो दोष–सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो,

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11– आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनो के लिये जो इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जाय, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह व इस अध्यादेश के किन्ही उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहें।

आयोग की कार्यवाहियॉ का अविधिमानरू न होना।

12– आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधर पर अविधिमान नही समी जायेगी कि –

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नही पड़ता है।

आयोग का सचिव

13–(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14– आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेगें।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियॉ और कर्तव्य

15– (1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियॉ और कर्तव्य होगें, अर्थात:–

(क) भर्ती की रीति से संबधित विषयों पर मार्ग दर्शक सिद्वान्त तैयार करना,

(ख) परीक्षायें संचालित करना, साक्षत्कार करना और अभयर्थियों का चयन करना,

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हे आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना,

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोगकरना जैसी विहित की जाय।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें मार्गदर्शित होगा।

ह0...........महापौर

16– आयोग अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यो का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग. द्वारा कियागया कार्य समक्षा जायेगा: (आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य।)

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा किय वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपांतरित रूप से अपना अनुमोदन दे।

अध्याय–चार

रिक्तियों को अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियॉं

17– (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। (रिक्तियां का अधिसूचित किया जाना)

(2) रिक्तियॉं ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेंगी जैसी विहित की जाय।

18– (1) आयोग धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात यथासम्भव शीध्र परीक्षा आयेाजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनो ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय एक सूची तैयार करेगा। (आयोग द्वारा चयन)

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और नियुक्त प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमे उल्लिखित कम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय–पॉच

आयोग के समक्ष कार्य

19– आयोग की किसी बैठक में सभी मामलोंका अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा। (बैठक में निर्णय)

20– आयोग की किसी बैठक के लिये सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी : (गणपूर्ति)

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नही होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

21– आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी। (वार्षिक रिपार्ट)

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

22– राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रायोजनों को कार्यन्वित करने के लिये नियम बना सकती है। (नियम बनाने की शक्ति)

ह0...........महापौर

विनियम बनाने की शक्ति

23– (1) आयोग राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यो के सम्पादन के संबध में जिसके अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन चयन करने के लिये परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षत्कार करने या दोनो के लिये फीस लेना भी है विनियम बना सकती है या उन्हे संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियमों उपबन्धों से असंगत नही होगें।

सद्भावना से किये कार्य का संरक्षण

24– किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अध्यादेश के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाही नही की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 5 सन् 2014

25–(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

राम नाईक
राज्यपाल
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस0बी0सिंह,
प्रमुख सचिव

.... **अनुपालन कार्यवाही हेतु पढ़ा गया।**

प्रस्ताव संख्या–144

संख्या–92 / 2923 / का–3–2014–13 / 7 / 2006

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

ह0...........महापौर

कार्मिक अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर,2014

विषयः– उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह ''ग'' की सीधी भर्ती के रिक्त पदो के अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या–1529/79–वि–1–14–1(क)10/2014 दिनांक 4.12.2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम,2014 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2014) की धारा–5 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या –2656/47–क–3–2014–13/94/99 दिनांक 20.11.2014 के क्रम में अधिसूचना संख्या–2812/47–क–3–14–13/7/2006 दिनांक 15.12.2014 के द्वारा वेतन बैण्ड–1 (रूप्ये 5200–20200) ग्रेड पे रू0 1900/– एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड–2 (रूपये 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600/– से कम के समस्त पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिये गये है।

2– उपर्युक्त के संबंध में अधियाचन के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुये आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रस्तर–1 में संदर्भित वेतनमानो/ग्रेड पे के रिक्त पदो के समस्त अधियाचन विलम्बतम दिनांक 05.01.2015 तक सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिंकप भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों के साथ संबधित पद की सेवा नियमावली (हिन्दी/अंग्रेजी) उपलब्ध कराते हुये लम्बवत/क्षेतिज आरक्षण की समग्र स्थिति आदि भी स्पष्ट करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी बिन्दु विशेष पर परामर्श की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उत्तर प्रदेश सचिवालय के नवीन भवन स्थित कैम्प कार्यालय से दिनांक 26.12.2014 तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– अभियाचन की प्रारूप

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या–_प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या–92/2923(1)47 –का–3–2014–13/7/2006 तद्दिनांक

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा,उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0...........महापौर

7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

आज्ञा से
ह0.......
(पी0बी0सिंह)
अनु सचिव

स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0
आठवां तल, इन्दिरा भवन,लखनऊ

संख्या :: एक/190/एलसी/2015 लखनऊ:: दिनांक 07 जनवरी,2015

उपरोक्त शासनादेश की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0।
4. जूनियर प्रोग्रामर, स्थानीय निकाय निदेशालय को इस आशय से कि उक्त शासनादेश विभागीय साइट पर अपलोड कर दी जाये।

ह0.........
(पी0के0सिंह)
निदेशक।

.... **अनुपालन कार्यवाही हेतु पढ़ा गया।**

अध्यक्ष ने कहा कि पुनरीक्षित बजट स्वीकृतोपरान्त कार्यसूची के अन्य बिन्दुओं पर भी विचार–विमर्श कर लिया गया है। अतः उक्त कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्य अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने का कष्ट करें।

.... **सर्वसम्मति से आज दिनांक 01.05.2014 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

इसी के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

ह0............

(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/अध्यक्ष